संख्या 346/35–1–2012–2/1(49)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1

लखनऊः दिनॉक 11 मई,2012

विषय वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये निर्णयो को मूल्यांकन प्रभाग में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये सामान्य निर्णय के क्रम में मूल्यांकन प्रभाग के आशुलिपिक संवर्ग में इस शासनादेश के साथ संलग्नक अनुलग्नक–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदनाम के समक्ष स्तम्भ–5 में इंगित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के अनुसार ,इंगित पदों की संख्या स्तम्भ–3 व्यवस्था को अनुलग्नक–2 स्तम्भ–1 के अनुसार पदनाम,स्तम्भ–4 व 5 के अनुसार वेतन बैण्ड का ग्रेड वेतन,स्तम्भ–3 के अनुसार पदो की संख्या तथा स्तम्भ–6 के अनुसार् पदो को भरे जाने की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष होने वाले पदधारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश–वे0आ0–2–841दस–2009–59(एम)/2008,दिनॉक 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–/वें0आ0–1–276/दस–2012,दिनॉक 03–5–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्याः 346(1)/पैतीस–1–2012 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) निदेशक,एन0आई0सी0 छठा तल योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश को नियोंजन विभाग की बेवसाइट पर डाले जाने हेतु
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
(6) गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्याः 346/ पैतीस–1– 12–2 / 1(49) / 2011, दिनॉक 11 मई 2012 का सलग्नक।

अनुलग्नक–1

क0 स0	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	पूर्व वेतनमान	वर्तमान वेतनमान
1	2	3	4	5
1	वैयक्तिक सहायक	01	5500–9000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
2	आशुलिपिक	02	5000–6000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
3	आशुलिपिक	14	4000–6000	5200–20200 ग्रेड वेतन–2400

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्याः 346 /पैतीस–1– 12–2/1(49)/2011, दिनॉक 11 मई 2012

अनुलग्नक–2

	पदनाम	प्रतिशत	पदो की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रू0)		शैक्षिक अर्हता/ भर्ती की विधि
				वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
0	1	2	3	4	5	6
1	आशलिपिक	50	8	5200–20200	2800	संर्वग के प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा।इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रतिमिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ.0ई0ए0सी0 सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0 सी0पाठ्यकम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यकम उत्तीर्ण होना) अनिवार्य अर्हता होगी ।
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	35	6	9300–34800	4200	यह पद द्वितीय स्तर के होगें।इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक पदधारको से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	15	3	9300–34800	4600	यह पद तृतीय स्तर के होगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोडते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पदधारको जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो,से पदोन्नति कर भरा जायेगा ।

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग–1
संख्याः 731/35–1–2013–2/1(49)/2011
लखनऊः दिनॉक 12 जून, 2013

शुद्धि–पत्र

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में वित विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2056/दस–54(एम.)/2008 टी0सी0, दिनांक 08.09.2010 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, मूल्यांकन प्रभाग में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–346/35–1–2012–2/1(49)/2011, दिनांक 11 मई, 2012 में पदों को "तात्कालिक प्रभाव से" प्रतिस्थापित किये जाने के स्थान पर उक्त शासनादेश में "दिनॉक 08.09.2010 से" प्रतिस्थापित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के अनुलग्नक–1 में आशुलिपिक के सृजित पदों की संख्या 02 में अंकित पूर्व वेतनमान रू0 5000–6000 के स्थान पर रू0 5000–8000 पढ़ा जाये।

पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनॉक 11 मई, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

उक्त शुद्धि–पत्र वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–1–423/दस–2013 दिनॉक 07.06.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

नीलम अहलावत
विशेष सचिव।

संख्याः 731(1)/35–1–2013,तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3– निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, एन0आई0सी0,छठा तल योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश को नियोजन विभाग की बेवसाइट पर डाले जाने हेतु।
5– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
6– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
Rsewak
(राम सेवक)
अनु सचिव।

C-1-KV-39